

डिफ़ेन्स सैलरी पैकेज, अग्निवीर : उपलब्ध सुविधाएँ

- शून्य अधिशेष खाता एवं भारत में किसी भी बैंक के एटीएम पर असीमित संख्या में निशुल्क लेन-देन
- निशुल्क अन्तर-राष्ट्रीय गोल्ड डेबिट कार्ड
- वेतन खाते हेतु कोई वार्षिक रखरखाव शुल्क नहीं
- संयुक्त खाताधारक हेतु निशुल्क डेबिट कार्ड
- असीमित निशुल्क माँग-ड्राफ्ट की सुविधा (वेतन खाते से वित्त-पोषित होने पर)
- प्रतिमाह 25 निशुल्क चेक पत्रक
- निशुल्क ₹ 50 लाख की संपूरक दुर्घटना (मृत्यु) बीमा सुविधा*
- निशुल्क ₹ 1 करोड़ की संपूरक वायु दुर्घटना बीमा (मृत्यु) सुविधा*
- निशुल्क ₹ 50 लाख तक, संपूरक सम्पूर्ण दिव्यांगता बीमा सुविधा*
- निशुल्क ₹ 50 लाख तक, संपूरक आंशिक दिव्यांगता बीमा सुविधा*
- वार्षिक लॉकर किराए में लागू दरों पर 10% की छूट
- अतिरिक्त, पूरक बीमा सुविधाएं (मूल दुर्घटना बीमा दावा के भुगतान योग्य होने पर उपलब्ध)*

अग्निकारित दिव्याङ्गता पर प्लास्टिक शल्यक्रिया हेतु बीमा सुविधा	अधिकतम ₹ 10 लाख
आयातित औषधियों पर व्यय हेतु बीमा सुविधा	अधिकतम ₹ 5 लाख
48 घंटे से अधिक कॉमा के उपरान्त मृत्यु कारित होने पर बीमा सुविधा	अधिकतम. ₹ 5 लाख
एयर एम्बुलेंस व्यय हेतु बीमा सुविधा	अधिकतम ₹ 10 लाख
पाल्य कन्या (आयु 18-25 वर्ष), वैवाहिक व्यय हेतु बीमा सुविधा	अधिकतम ₹ 10 लाख, 2 बालिकाओं हेतु (₹ 5 लाख प्रति बालिका) , 1 बालिका के मामले में केवल ₹ 5 लाख)
बीमित के पाल्यों (आयु 18-25 वर्ष) हेतु उच्च-शिक्षा व्यय (स्नातक) हेतु बीमा सुविधा	अधिकतम ₹ 8 लाख (बालकों हेतु) अधिकतम ₹ 10 लाख (बालिकाओं हेतु)
यातायात खर्च बीमा सुविधा (निकटस्थ दो पारिवारिक सदस्यों के दुर्घटना स्थल पर पहुंचने हेतु उपलब्ध)	अधिकतम ₹ 50,000
मृतावशेष के संवहन-व्यय हेतु बीमा सुविधा	अधिकतम ₹ 50,000
एम्बुलेंस व्यय हेतु बीमा सुविधा	अधिकतम ₹ 50,000
राष्ट्र विरोधी / नक्सलवादी/ वैदेशिक शत्रु के विरुद्ध कार्यवाही में मृत्यु कारित होने पर अतिरिक्त वैयक्तिक बीमा सुविधा	₹ 10 लाख

*नियम व शर्तें लागू